राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

क्र. : 3623 /SEIAA/2022
दिनांक:- 30/3/22

प्रति,

जिला खनिज अधिकारी,
जिला – बडवानी (म.प्र.)

विषयः–प्रकरण क्र. 2811/2015: परियोजना प्रस्तावक श्री माणक पटेल आत्मज श्री देवीसिंह पटेल, बांदरकच्छ, पोस्ट रणगांव, तहसील ठीकरी, जिला बडवानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), एरिया 1.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 10260 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 435/1/1/1/1/ख, ग्राम बडसलाय, तहसील ठीकरी, जिला बडवानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति का हस्तांतरण श्री पवन कुमार अग्रवाल निवासी मकान न. 108/3, वार्ड नं. 4, मेन रोड़, गोकुल धाम, ग्राम बरूफाटक, तहसील टिकरी, जिला बडवानी (म.प्र.)

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 712 वी बैठक दिनांक 10.03.2022 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया ....

उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 703वी बैठक दिनांक 30.01.2022 में निर्णय लिया गयाः–

............राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज हस्तांतरण दिनांक 07.04.2017 के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण हेतु आवेदन 04 वर्ष के बाद विलम्ब से क्यों किया गया का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें एवं इस दौरान उक्त खनिज पट्टे में कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है का सत्यापन जिला खनिज अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांरण पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 08.03.2022 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण में विलम्ब के कारण के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण हेतु अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया एवं जिला खनिज अधिकारी से लीज हस्तांतरण दिनांक से आज दिनांक तक नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई उत्खनन कार्य किया गया है अथवा नही के संबंध में स्पष्ट अभिमत प्राप्त 10 दिवस में प्राप्त करें। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जायउपरोक्त निर्णय अनुसार आपके प्रकरण को Delist किया जाता है।

उक्त बैठक में लिये गये निर्णयानुसार, प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया एवं प्रकरण में लीज हस्तांतरण दिनांक से आज दिनांक तक नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई उत्खनन कार्य किया गया है अथवा नही के संबंध में स्पष्ट अभिमत प्राप्त 10 दिवस में SEIAA कार्यालय को प्रेषित करें।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

पृ.क्र. 3624 /SEIAA/2022 दिनांक – 30/3/22

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला – बडवानी (म.प्र.) ।
5. वन मंडलाधिकारी, जिला – बडवानी (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
7. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. श्री माणक पटेल आत्मज श्री देवीसिंह पटेल, बांदरकच्छ, पोस्ट रणगांव, तहसील ठीकरी, जिला बडवानी (म.प्र.)।
10. संबंधित फाईल।

प्रभारी अधिकारी

Case No. 2811/2021